न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर (म0प्र0)

निगरानी क्र0 नि0/3585/II-15

किशोरी लाल बल्द दुर्गा प्रसाद
निवासी किशुनगढ़ तह0 बिजावर जिला छतरपुर म0 प्र0

---- निगरानीकर्ता

॥ विरूद्ध ॥

(1) शारदादीन पुत्र बुद्धा सौर
2-) मातादीन बल्द बुद्धा सौर,
3) भैयालाल बल्द मनछुआ सौर,
सभी निवासी ग्राम राईपुरा पो0 किशुनगढ़ तह0 बिजावर, जिला छतरपुर (म0प्र0)

---- प्रति निगरानीकर्तागण

निगरानी याचिका अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा प्रकरण क्रमांक ...-अ/86-87 में पारित आदेश दिनांक 14-7-87 के विरूद्ध निगरानीकर्ता निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है:-

(1) यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-7-87 पारित करने के पूर्व निगरानीकर्ता को किसी भी तरह का कोई सूचना पत्र, एवं नोटिस जारी नहीं किया गया इस कारण निगरानी कर्ता को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की कोई जानकारी दिनांक 07-07-2015 तक नहीं थी ।

(2) यह कि, जब अपीलार्थी /निगरनीकर्ता दिनांक 7-7-15 को पटवारी के पास अपनी भूमि का कुल भूमि प्रमाण पत्र लेने गया तो उसे ज्ञात हुआ कि उसके भूमि स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि से उसका नाम नाम काटा जा चुका है । तो उसने अधिनस्थ न्यायालय में जाकर, जानकारी ली तब उसे दि. 7-7-15 को आलोच्य आदेश के सम्बंध में जानकारी हुई, तो उसने आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया प्रतिलिपी उसे दि. 7-7-15 कोही प्राप्त हो गई प्रतिलिपी प्राप्त करने के पश्चात उसे आदेश के संबंध में वास्तविक ज्ञान हुआ तो उसने राजस्व अभिलेख खसरा बी-1 आदि के लिए ...न

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 3585/II/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	किशोरीलाल कार्यवाही तथा आदेश शासकीय	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-3-16	यह निगरानी अनु० अधि० के प्रकरण क्रमांक 2/अ-19(4)/86-87 में पारित आदेश दिनांक 14-9-87 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधि० श्री अशोक कुमार मिश्रा उप० । उनके द्वारा निगरानी मेमो के संलग्न अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 14-9-87 का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अवलोकन से पाया कि अनु० अधि० द्वारा अपने आदेश में यह आधार लिया गया है कि विवादित भूमि आदिवासी (अनु० जन जाति) के व्यक्ति गुद्दा के नाम की थी, जो बिना कलेक्टर की अनुमति के किसी इतर व्यक्ति के नाम हस्तांतरित नहीं की जा सकती। इस प्रकरण में आदिवासी व्यक्ति की भूमि संहिता की धारा 190 के अंतर्गत कब्जे के आधार पर आवेदक किशोरी के नाम हस्तांतरित होना प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में संहिता की धारा 165 का भी उल्लंघन हुआ है, संहिता की धारा 165(6) के अंतर्गत कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनु० अधिकारी के आदेश दिनांक 14-9-87 से आवेदक किशोरीलाल के नाम किए गये अंतरण को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। परिणामस्वरूप अनु०अधि० का आदेश दिनांक 14-9-87 यथावत रखा जाता है एवं निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण	

[कृ. प. उ.

R. 3585/11/15 ६४२४८

स्थान तथा दिनांक	किशो०न्या०बो० कार्यवाही तथा आदेश आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
M	ग्राह्य किया जाता है। आदेश प्रति [illegible] अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०रि०हो। [signature] 3.3.16 सदस्य	

राकोमुद्रा—714—असरामप्रगता—29-2-2012—15,000.